

प्रारूप-2.2

परियोजना का नाम :-राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटियानोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई-6.75 कि०मी०)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न कर दी गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त को प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हार्ड लाईट कर दिया गया है।

Tue
JE

$$\Delta W_{\text{net}} =$$

ह0/११)

अप्रयोक्ता एजेन्सी

28

पत्रावली म०...

प्रेषक,

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 123(एक सौ तेईस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

संख्या-2503/111-2/06-37(प्रा.आ.)/06

पत्रावली म०
वर्ष 2006-07
19 अप्रैल 2006
राज्यपाल

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 123 कार्यों के रूपये 14630.50 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 13779.48 लाख (रूपये एक सौ सैंतीस करोड़ उन्नीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि की जांच के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रमाण करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 12.20 लाख (रु० बत्तीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम-वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली बौत्ति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का सारी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से हैरिटेड नमूने ली जाय तथा प्रयोग की जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यवाही संस्थाओं का निरीक्षण किया जाय।

नांक 05 अप्रैल 2006

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
धनराशि, रु० 12.20

Assistant Engineer
T. Division F.W.D.

29

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं जायेगा।

यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही राशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी देशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ उक्त आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रा.क-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-591/XXVII(2)/2006 दिनांक 19 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- 123 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2503
(1)/111-2/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- अपुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नेनीताल।
- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा/पौड़ी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
- गार्ड बुक।

Assistant Engineer
Ly. Division, P.W.D
Ghansali (T.G.)

आज्ञा से,

सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग
धनसाली, टि० न०

2503/111(2)/06-37(प्र.आ.)/06 दिनांक 29, सितम्बर, 2006 का संलग्नक
(घनराशि लाख रुपये में)

कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2006- 07 में व्यय की स्वीकृति
2	3	4	5	6
कण्डारा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण	1.00	18.50	18.50	1.00
सीकखाल-ज्वालपादेवी मोटर मार्ग का एवं पक्कीकरण का कार्य (मा0मु0म0घो0)	5.00	92.50	92.50	0.10
तुनाखाल-इयूल मोटर मार्ग का (मा0मु0म0घो0)	8.30	120.34	120.34	1.00
डरी ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में (मा0मु0म0घो0)	5.00	63.15	63.15	0.10
मुसासु ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में (मा0मु0म0घो0)	3.00	60.75	60.75	0.10
त-गडरिया-चोरकडी-मंजखोली-पावो मोटर निर्माण कार्य (मा0मु0म0घो0)	10.00	172.50	172.50	0.10
माल-दादखाल मोटर मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
गण्डोली-खण्डाह मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
माल-निराणी मोटर मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
त-असगढ़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं (मा0मु0म0घो0)	4.00	58.00	58.00	1.00
त-असगढ़-घडियाला-दियूसा मोटर मार्ग का (मा0मु0म0घो0)	10.00	172.50	172.50	0.10
डरी नानसु ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में निर्माण	4.00	81.00	81.00	0.10
मालोली-कालेश्वर मोटर मार्ग से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र को के लिए सम्पर्क मार्ग	1.00	28.85	28.85	0.10
मालोली-टंगरोली-नलई मोटर मार्ग का निर्माण/सुधार	10.00	202.50	202.50	1.00
डरी फेवसे टंगरोली ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग परिवर्तन/डागरीकरण	5.00	101.25	101.25	1.00
मालोली-खोखार पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
मालोली-सिलोड ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन/नव निर्माण	4.00	56.30	56.30	0.10
मालोली-खोखार पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
मालोली से मोलघार सरमोली से खोखार, से चौनीखाल का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
खजरा बजवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	64.80	64.80	0.10
डरी डी.डी. पोपलीघार मोटर मार्ग पर सौदू जाको गोपाल से सौदू टोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
डरी डी.डी. विरदिया मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	194.40	194.40	0.10

अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनराशि

Assistant Engineer
T. Division, P.W.D.